

10<sup>09</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकुलाथ अभिमन्युसिंह,  
 कपूराराम, अशोक को जारी सम्मन बच तामील  
 प्राप्त हुये। शेष सम्मन अदम तामील प्राप्त है।  
 अभिमन्युसिंह, कपूराराम व अशोक एवं इनकी और  
 से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। बार-बार  
 आवजें लगाई जाने के बावजूद उपस्थित नहीं  
 होने से पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पेश्वी  
 में धारिज की जाती है। पत्रावली पेश्वी शुमार  
 टैकर नम्बर से कम है।



3

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी, बाली